न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

बाबूलाल पुत्र किशनराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या :169/2025

अन्तर्गत धारा :– तरमीम दुरूस्ती

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.25	प्रार्थी श्री बाबूलाल पुत्र श्री किषनाराम जाति जाट निवासी ग्राम भाकरसानी तहसील लूणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम सालावास के खसरा नंबर 152/4 की सहखातेदारी कृषि भूमि के ऑनलाईन नक्षा मौके अनुसार सही बना कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर जमाबंदी के राजस्व रेकर्ड में तरमीम/नक्षा शुद्धिकरण करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र की जांच हेतु तहसीलदार लूणी को इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2025/283 दिनांक 04.04.2025 के द्वारा तहरीर जारी कर प्रकरण में जवाब/जांच हेतु लिखा गया। तहसीलदार लूणी के प़त्रांक/भू.अ./2025/2038 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार लूणी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भाकरासनी खसरा संख्या 152/4 रकबा 0.1619 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ श्यामचौधरी पुत्र गणेशराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. राजीवनगर कुड़ी भगतासनी जोधपुर खातेदार के नाम वर्तमान जमाबंदी अनुसार दर्ज है। मूल खातेदार बाबूलाल वगैरा के द्वारा बेचान करने पर ग्राम भाकरासनी के नामान्तरकरण संख्या 1032 पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज दिनांक 06.07.2015 आधार पर दर्ज किया जिसमें खसरा संख्या 154/4 रकबा 01 बीघा का सृजन हुआ जिसकी पुरत पर नजरी नक्शा अंकित नहीं है। लट्ठा नक्शा ट्रेस में उक्त खसरे की लाल स्याही से तरमीम का स्पष्ट अंकन है। उक्त नामान्तरकरण जिसमें बेचान रकबा 01 बीघा के पडौस दर्शाये गये है। मूल खातेदार खसरा संख्या 152/4 बाबूलाल वगैरा की भूमि मौके पर दो अलग अलग स्थानों पर स्थित होना बताया जिसका रकबा 152 B (0.1256 हैक्टयर) तथा 152 A (0.6190 हैक्टयर) है। उक्त खसरे की ऑनलाइन दर्ज तरमीम नक्शा वर्तमान मौका स्थिति एंव पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज अनुसार भिन्न है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 152/4 की ऑनलाइन नक्शे में दर्ज तरमीम को मौकानुसार एवं पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरस्त किया जाना अपेक्षित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 152/4 की राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरूस्त करने की अनुषंषा किये जाने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 152/4 जो कि दो भाग 152 A व 152 B में विभक्त है, को दो अलग–अलग खसरो में दर्ज कर तरमीम को राजस्व रेकर्ड में मौका एवं पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के अनुसार शुद्ध किया जाकर रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। आदेष सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	